बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0 सं0:—–भवन–लेखा–विविध–09 / 2021 3360 (भ0) पटना, दिनांक 08/04/26

.....

प्रेषक,

कुमार अनुराग (भा0प्र0से0),
संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।**

महोदय,

वाहन आपूर्तिकर्ता एजेन्सी के चयन हेतु निविदा प्रकाशित किया जाना है। अनुरोध है कि निविदा को राज्य स्तरीय एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

08/04/26

(कुमार अनुराग)
संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

मासिक/दैनिक भाड़े पर भवन निर्माण विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग के लिये मासिक भाड़े पर 1 क्रिस्टा, 2 स्कॉर्पियों, 3 स्वीफ्ट डिजायर वाहन एवं समय–समय पर On Call Basis, दैनिक भाड़े पर वाहन की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहनों की संख्या समय–समय पर आवश्यकतानुसार घट या बढ़ भी सकती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक–20.04.2026 के अपराह्न 5.00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों–हाथ भवन निर्माण विभाग के डाकप्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक–21.04.2026 के अपराह्न 3.00 बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। दोनों लिफाफ़ों को एक बड़े लिफाफा में बंद कर जमा किया जायेगा। निविदा की शर्ते भवन निर्माण विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/bcd/CitizenHome.html पर प्राप्त की जा सकती है। जमानत की राशि रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) मात्र को डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में " निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना" के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

06/04/26

कुमार अनुराग (भा0प्र0से0)
संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

<u>तकनीकी निविदा की शर्तें</u>

1. निविदादाता को कम से कम एक वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी संस्थान/निगम आदि में समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म/संस्थान GST के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
3. निविदादाता निम्न कागजात के स्वअभिप्रमाणित प्रति क्रमानुसार निविदा के साथ संलग्न करेंगे।

   I. 25,000/- रूपया का बैंक ड्राफ्ट ''निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग'' के पक्ष में देय हो।

   II. GST निबंधन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

   III. GST के फरवरी, 2026 के रिटर्न्स (GST Returns for Februray, 2026) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

   IV. PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

   V. वित्तीय वर्ष 2023–24 या 2024–25 के लिये दाखिल किये गये आयकर विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

   VI. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarized Affidavit की मूल प्रति।

   VII. संस्थान द्वारा निविदा में दर्शाये गये सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्वघोषणापत्र।

   VIII. सभी पृष्ठों पर संस्थान का मुहर एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।

   IX. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर ''भवन निर्माण विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा'' लिखेंगे एवं निविदा प्रारूप 'क्'–में दर वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रख कर सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर ''भवन निर्माण विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा'' लिखेंगे, तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग लिफाफा एक बड़े लिफाफा में डालकर उसे सील बंद करते हुए बड़े लिफाफा के उपर ''भवन निर्माण विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा'' अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाहिने साइड पता ''संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पंचम तल, कमरा सं0–501, बिहार, पटना'' एवं बायें साईड में फर्म का नाम अंकित करेंगे।

   X. निविदादाता सील बंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

   XI. निविदादाता भवन निर्माण विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों–हाथ भी निविदा जमा कर सकते हैं।

XII. भवन निर्माण विभाग के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

XIII. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

XIV. निविदादाता निविदा डालने के संबंध में किसी बिन्दु पर स्पष्टता हेतु संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग से कार्यालय अवधि में व्यक्तिगत रूप से आकर Pre Bid Meeting में भाग ले सकते हैं।

XV. निविदा एकरारनामा संपन्न करने की तिथि से तीन साल तक लागू रहेगा। प्रथम वर्ष के समाप्ति के उपरांत संतोषपूर्ण सेवा होने तक आगे के दो वर्षो के लिये एकरारनामा की अवधि विस्तार की जायेगी। तीन वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी संतोषपूर्ण सेवा रहने पर वर्तमान शर्त एवं दर पर एक साल की अवधि के लिये एकरारनामा को आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकता है।

XVI. भवन निर्माण विभाग बिना कोई कारण बताये एक महीने का नोटिस देकर एकरारनामा को एकपक्षीय रूप से रद्द कर सकता है। इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं रहेगा।

वाहन आपूर्तिकर्ता के दायित्वः–

1. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवतापूर्ण सेवा दिये जाने पर सहमत होंगे।
2. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्ता सुनिशिचित करेंगे की वाहन एवं चालक की सेवा भवन निर्माण विभाग या उसके पदाधिकारी/कर्मी को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध करवायेंगे। 15 मिनट से ज्यादा का विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा प्राप्त करें एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से किया जायेगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता संविदा में लिखित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन का "Maintenance एवं Servicing" कार्यालय अवधि के बाद अथवा अवकाश के दिनों में विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करेंगे।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर पर्याप्त ईंधन के साथ भेजेंगे।

6- वाहन के किसी भी ब्रेकडाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा

6. सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली आपूर्तिकर्ता से की जायेगी।
7. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किये गये संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी।
8. वाहन आपूर्तिकर्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे।
9. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आवंटित किये गये कर्मी का पुलिस Verification करवाया जायेगा।
10. वाहन आपूर्तिकर्ता/चालक द्वारा लॉगबुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन को use करने वाले पदाधिकारी/कर्मी से तुरन्त हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
12. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में होना चाहिए।
13. आपूर्ति किये गये वाहन, आदेश निर्गत की तिथि से दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाण–पत्र, Comprehensive Insurance for Third Party and Occupants के साथ, PUC Certificate एवं अन्य प्रासंगिक लाईसेंस/Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था द्वारा परिचालन के लिये आवश्यक हो, होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व की होनी चाहिए ।
14. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ–सुथरा होना चाहिए।
15. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होना चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।
16. वाहन आपूर्तिकर्ता एजेन्सी हमेशा यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन का विद्युत कनेक्शन, लाईट, हौर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय–समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
17. विभाग/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत स्थान एवं नियत समय पर वाहन उपलब्ध रहना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रॉल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को सूचना देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन ''सेवा प्राप्तकर्ता'' को उपलब्ध नहीं करवाया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
18. वाहन में मोबाईल चार्जर तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए।

19. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा।
20. लॉगबुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फारमेट में संधारित करना होगा।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्वः–

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यो के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगेः–

1. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर संविदा की शर्तो के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार–बार दुहराने पर एवं निम्नांकित तरह के अमर्यादित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
   i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।
   ii. असवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
2. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे विभाग/पदाधिकारी किसी भी समय संपर्क कर सकें।
3. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नंबर बदलता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी।
4. चालक अपनी कार्यवधि के दौरान हमेशा विभाग/संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे।
5. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाईसेन्स होना जरूरी है।
6. चालक साफ–सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि विभाग द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे।
7. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर या अन्य नशे के हालत में कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरन्त संविदा को रद्द कर दे तथा विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करें।
8. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे।
9. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात–चीत एवं कार्यचालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन रोक कर मोबाईल का उपयोग कम–से–कम समय के लिये कर सकते हैं।
10. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने या उन्हें Attend करने का निदेश दिया जाता है, तो चालक अतिथि को अपने मोबाईल नंबर

एवं वाहन नंबर की सूचना फोन/SMS/Whats App के माध्यम से तुरन्त देंगे। मोबाईल एवं SMS पर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

11. चालक एवं वाहन को तुरन्त –तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होने वाले बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

नियमों का अनुपालन एवं वैधानिक कर

1. किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण कल–पुर्जो सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा।
2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का थर्ड पार्टी असीमित रिस्क के साथ व्यापक बीमा लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता थर्ड पार्टी द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार भवन निर्माण विभाग के कर्मी को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से, जिम्मेवार होंगे।
4. भवन निर्माण विभाग, चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं करने के लिये जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आनेवाले सभी नियमों, अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act, Workmen Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्तिकर्ता के कर्मी/चालक भवन निर्माण विभाग के कर्मी नहीं माने जायेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि के लिये वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक कर रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था, प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का

वाहन भवन निर्माण विभाग को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध करवाया जायेगा ।

8. भवन निर्माण विभाग द्वारा वाहन को कार्य के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर भवन निर्माण विभाग के कर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक की अनदेखी, तेजगति एवं अनियमित चालन, खराब ब्रेक/ ब्रेकफेल के विरूद्व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
9. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन को किसी भी स्थिति में विभाग के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिये ऐसा करते पाये जायेंगे उससे दोगुने दिन के लिये Pro-Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।
10. प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुँचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर, विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरांत वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक के लिए ही परिचालित कि०मी० की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्यस्थल से रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान भवन निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा और न ही उसे लॉगबुक में अंकित किया जायेगा।
11. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा चालक को राज्य मोटरवाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचानपत्र अपने खर्च पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
12. भवन निर्माण विभाग की मांग पर वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करवायेगें एवं यात्रा का रिकॉर्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माइलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माइलेज की गिनती यात्रा आरंभ करने के स्थान से की जायेगी न की किसी अन्य स्थान से।
13. वाहन आपूर्तिकर्ताद्वारा बिल, जो नियमों के आलोक में हो, समर्पित किया जायेगा एवं भवन निर्माण विभाग वाहन आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्डस्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।
14. Toll Tax, Octroi, Parking Charges and other statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान

1. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिये गैरेज से या गाड़ी को रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से, यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिये व्यवहार करना शुरू करेंगे, उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे

एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज कर के संबंधित पदाधिकारी /कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

3. भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रति माह भुगतान किये जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 1500 कि०मी० तक के परिचालन के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 1500 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० के दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक की वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगा एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से किया जायेगा।
5. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST-TDS, Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।
6. वाहन आपूर्तिकर्ता अपने संस्थान के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जिनसे भवन निर्माण विभाग द्वारा संपर्क किया जायेगा।
7. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा भवन निर्माण विभाग के लेखा शाखा में एक उपस्थिति पंजी रखी जायेगी जिस पर प्रतिदिन चालक द्वारा उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चालक अद्यतन लॉगबुक भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज नहीं करने अथवा लॉगबुक जाँच हेतु प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में प्रतिदिन 100/- रूपया के दर से मासिक भाड़े में से कटौती की जायेगी।
8. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन लिया जाता है, तो संविदा में तय किये गये प्रति कि०मी० के दर से भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिये खाने एवं रहने के प्रबंध पर होने वाले सभी व्यय वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
9. जब भी जितनी संख्या में वाहन की मांग की जायेगी फर्म/संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर माँग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध करवाना होगा।

Annexure-A

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

वित्तीय निविदा प्रारूप 'क' वाहन का मासिक दर (ईधन एवं चालक सहित)			
क्रमांक	वाहन का विवरण	1500 कि0 मी0 प्रति माह **(without GST)**	1500 कि0 मी0 के बाद प्रति कि0 मी0 दर **(without GST)**
(क)	इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी–ए0सी0	**@Rs...................**	**@Rs...................**
(ख)	स्कॉर्पियो–ए0सी0	**@Rs...................**	**@Rs...................**
(ग)	इंडिगो, स्विफ्ट डिजायर –ए0सी0	**@Rs...................**	**@Rs...................**

वित्तीय निविदा प्रारूप 'ख' दैनिक भाड़े पर लिये जानेवाले वाहन का दर **Minimum Chargeable K.M. Per Day = 200 K.M.**		
क्र0	वाहन का विवरण	**Basic Rate Per K.M. (without GST)**
(क)	इनोवा क्रिस्टा, टाटा सफारी–ए0सी0	**@Rs...................**
(ख)	स्कॉर्पियो–ए0सी0	**@Rs...................**
(ग)	इंडिगो, स्विफ्ट डिजायर –ए0सी0	**@Rs...................**

निविदादाता का हस्ताक्षर..

निविदादाता का नाम..

मुहर...

नोटः– निविदादाता वित्तीय निविदा डालते समय पेट्रोल/डीजल के रेट को ध्यान में रखते हुए **Monthly Rate / Per K.M. Rate** की गणना करें एवं उसी के अनुसार अपना **Rate Quote** करें। बाद में यह कहना कि पेट्रोल/डीजल का रेट बढ़ गया है अतएव वाहन को महीने में **1500** कि0 मी0 से कम परिचालित किया जाय अथवा वाहन उपलब्ध करवाने से इंकार करने पर उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है एवं भविष्य में बिहार सरकार में निविदा डालने से डीबार भी किया जा सकता है।

Information & Public Relation Department, Govt. of Bihar

e-Advertisement Acknowledgement Receipt:

Ad. ID:	194997	**Ad. Date:**	09-Apr-2026
Ad. Publish Date:	10-Apr-2026	**Letter No and Date:**	3360/08-Apr-2026
Ad. Department/Office:	Building Construction Department, Patna	**Advertiser Name:**	Shri ram ekbal sah
Requested Location:	All Bihar	**Ad. Category:**	Print Media
Advertiser Mob. No.:	9430965953	**Advertiser Email:**	ddpurchase.bcd@gmail.com